

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-5/353/30-4-2014-8(1)/13
लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2014

अधिसूचना

मा० सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-25237/2010 में दिनांक 10.12.2013 में दिये गये आदेशों के अनुपालन में तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के 119 के उप नियम (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं अधिसूचना संख्या- 1772/30-4-2007-25पी/77, दिनांक 23 अगस्त, 2007 को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल निदेश देते हैं कि-

(क) निम्नलिखित यथा वर्गीकृत यानों के शीर्ष अग्रभाग पर बहुरंगी (नीली, सफेद व नारंगी) बत्तियों के प्रयोग की अनुज्ञा होगी:-

"आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों यथा- एम्बुलेंस, अग्निशमन यान या पाइलेट के रूप में प्रयुक्त पुलिस वाहन, कानून व व्यवस्था में संचालित वाहन।"

(ख) निम्नलिखित यथावर्गीकृत यानों पर हूटर (हार्न) के प्रयोग की अनुज्ञा होगी:-

"एम्बुलेंस या अग्निशमन यान, नाश रक्षण के उद्देश्य से प्रयुक्त यान, निर्माण उपस्कर यान, पुलिस अधिकारियों तथा मोटर विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने कार्य के दौरान (केवल आपातकाल में)।"

आज्ञा से,
कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/353(1)/30-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 10 मार्च, 2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 500-500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4 उ0प्र0 सचिवालय, बापू भवन, कक्ष संख्या-320 को तत्काल उपलब्ध करा दी जायें।

आज्ञा से,
जुहेर बिन सगीर
विशेष सचिव।

संख्या-5/353(2)/30-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण/मा0 राज्य मंत्रीगण।
- 4- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उ0प्र0।
- 5- रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 6- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 9- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
- 10- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
- 11- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 12- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
- 13- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जुहेर बिन सगीर
विशेष सचिव।

संख्या-5/353(3)/30-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सचिव, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जुहेर बिन सगीर
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 353 /XXX-4-14-8(1)/2013, dated March 10, 2014

NOTIFICATON No- 5/353 /XXX-4-14-8(1)/2013

Lucknow Dated: March 10, 2014

In compliance of order dated 10-12-2013 by Hon'ble Supreme Court of India in Special Leave Petition (c) 25237/2010 and under the powers conferred under sub-rule (3) of rule 119 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and in suppression of notification no 1772/30-4-2007-25P/77 dated 23 August, 2007 the Governor directs that-

- (a) Following vehicles shall be permitted to use multicolored (blue white & orange) light at top front of the vehicles-

Vehicles on emergency services such as ambulance, fire service, police vehicles used as pilots or vehicles for law and order duties,

- (b) Following vehicles shall be permitted to use hooter-

Ambulance or for firefighting or salvage purposes or on construction equipment vehicles on vehicles used by police officers or officers of the motor vehicles department in the course of their duties.
(Only in emergency)

By order

Kumar Arvind Singh Deo
Pramukh Sachiv